

# गर्भावस्था: आंगनवाड़ी केंद्र में समय पर पंजीकरण

## पंजीकरण

- ❖ महिला को गर्भावस्था के पहले तीन महीनों के अंदर ए एन एम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के यहां अपना पंजीकरण जरूर कराना चाहिए।
- ❖ तथापि, यदि कोई महिला अपनी गर्भावस्था का पंजीकरण कराने के लिए विलंब से आती है, तो उसका पंजीकरण करने से मना नहीं किया जाना चाहिए तथा पंजीकरण जरूर किया जाना चाहिए उसके गर्भकाल (गर्भावस्था की स्थिति) के अनुसार देखरेख प्रदान की जानी चाहिए।
- ❖ ए एन एम/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड के सभी शीर्षों के महत्व एवं प्रासंगिकता के बारे में बताना चाहिए तथा महिला और/या परिवार के सदस्यों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और जो स्पष्ट न हो उसे समझाना चाहिए।



## आंगनवाड़ी केंद्र में समय पर पंजीकरण के लाभ

- ● ●
- ❖ नियमित स्वास्थ्य जांच
- ❖ प्रत्येक विजिट पर खून एवं पेशाब की जांच
- ❖ इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई जी एम एस वाई) और जननी सुरक्षा योजना (जे एस वाई) जैसी स्कीमों के तहत प्रोत्साहनों के लिए पात्रता
- ❖ आंगनवाड़ी केंद्र (ए डब्ल्यू सी) में संगत सुविधाओं की उपलब्धता
- ❖ जरूरी होने पर तथा आपातकालीन स्थितियों में समय पर गर्भपात की सेवाएं प्राप्त करना।



## क्या करें

- ❖ घर का दौरा शुरू करें, विशेष रूप से नवविवाहित जोड़ों, गर्भवती महिलाओं (माताओं) से मिलने के लिए उनके घर जाएं तथा आंगनवाड़ी केंद्र में समय पर पंजीकरण के लाभों के बारे में बताएं।
- ❖ अपने इलाके में सभी गर्भवती महिलाओं की पहचान करें।
- ❖ स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी), मातृ समितियों, समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के लाभार्थियों के माध्यम से ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वी एच एन डी) के लिए ए डब्ल्यू एच / आशा के साथ लाभार्थियों को लामबंद करें।
- ❖ आंगनवाड़ी केंद्र में समय पर पंजीकरण के लिए गर्भवती महिलाओं एवं उनके परिवारों को परामर्श एवं सलाह दें।
- ❖ पंजीकृत गर्भवती महिलाओं एवं उन लाभों का रिकार्ड रखें जिनकी वे हकदार हैं।



## ए एन एम/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निम्नलिखित सुनिश्चित करें

- ❖ सभी गर्भवती महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत हैं तथा सेवाएं प्राप्त करने एवं तीन प्रसवपूर्व जांच कराने में उनकी सहायता करें।
- ❖ मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड में गर्भधारण के महीने के तहत संगत कॉलम में पंजीकरण की तिथि दर्ज है।
- ❖ उसने संगत आंगनवाड़ी केंद्र, उप केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रजिस्टर में गर्भवती महिला का नाम लिखा है।
- ❖ गर्भवती महिला निर्धारित अवधि के लिए प्रसवपूर्व विजिट के लिए आती है।
- ❖ मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड प्रत्येक विजिट पर साथ लेकर आती है और प्रस्तुत करती है।